

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 02-07-2025

विषय सूची

- » राष्ट्रीय खेल नीति (NSP) 2025
- » वस्तु एवं सेवा कर (GST) के 8 वर्ष
- » विकासशील देशों में संप्रभु ऋण में वृद्धि
- » डिजिटल इंडिया यात्रा के 10 वर्ष
- » कैबिनेट द्वारा अनुसंधान विकास और नवाचार (RDI) योजना को मंजूरी
- » वन्य जीव-जंतुओं और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेशन के 50 वर्ष (CITES)
- » कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए नियामक ढांचा

संक्षिप्त समाचार

- » मुन्नार एक उत्तरदायी पर्यटन स्थल'
- » महाबोधि मंदिर
- » ग्लूटेथिओन
- » रोजगार सृजन के लिए ईएलआई योजना
- » रेलवन ऐप(RailOne App)
- » EPABX (इलेक्ट्रॉनिक निजी स्वचालित शाखा एक्सचेंज)

राष्ट्रीय खेल नीति (NSP) 2025

समाचार में

- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खेल नीति (NSP) 2025 को मंजूरी दी।

ऐतिहासिक संबंध : समयरेखा

- भारत में खेलों का प्राचीन आधार है, जो तीरंदाजी और कुशती जैसी जीवित रहने की कौशल से उत्पन्न होकर आधुनिक खेलों में विकसित हुई।
- 1947 में स्वतंत्रता के पश्चात्, गरीबी और शिक्षा जैसे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के कारण खेलों पर सीमित ध्यान दिया गया, हालांकि भारत ने 1951 में पहले एशियाई खेलों की मेजबानी की और 1954 में अखिल भारतीय खेल परिषद का गठन किया।
- वित्तीय सीमाओं और दशकों तक नीति की निष्क्रियता के बावजूद, भारत की हॉकी टीम ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, और एथलेटिक्स में उल्लेखनीय खिलाड़ी उभरे।
- 1982 के एशियाई खेलों ने बदलाव की शुरुआत की, जिससे खेल विभाग की स्थापना और भारत की प्रथम राष्ट्रीय खेल नीति (NSP) 1984 में बनी, जिसका उद्देश्य अवसंरचना, जन सहभागिता और उत्कृष्ट प्रदर्शन को बढ़ावा देना था।
- 1986 में भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना हुई। हालांकि, धीमी आर्थिक प्रगति और कमज़ोर नीति कार्यान्वयन के कारण इसकी प्रगति सीमित रही, जब तक कि 1991 में उदारीकरण ने खेलों की दृश्यता नहीं बढ़ाई और जन आकांक्षाओं को पंख नहीं दिए।
- 1997 में एक ड्राफ्ट NSP में राज्य स्तरीय विस्तार और राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता पर ध्यान केंद्रित करने का प्रस्ताव था, लेकिन इसे अपनाया नहीं गया।
- 2000 के पश्चात्, युवा मामलों और खेल मंत्रालय का गठन हुआ, और 2001 में एक संशोधित NSP स्पष्ट लक्ष्यों के साथ लॉन्च हुई।

- हालांकि भारत की ओलंपिक सफलता सीमित रही, 2011 का राष्ट्रीय खेल विकास संहिता जैसे प्रमुख सुधारों ने खेल प्रशासन को व्यावसायिक बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया।
 - TOPS (2014), खेलों इंडिया (2017), और फिट इंडिया मूवमेंट (2019) जैसे कार्यक्रमों ने एथलीटों के विकास और फिटनेस को बढ़ावा देने में सहायता की।

राष्ट्रीय खेल नीति (NSP) 2025

- यह 2001 की नीति का स्थान लेती है और इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति बनाना और 2036 ओलंपिक सहित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मजबूत दावेदार बनाना है।
- यह नीति व्यापक विचार-विमर्श का परिणाम है, जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों, नीति आयोग, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय खेल महासंघों (NSFs), एथलीटों, क्षेत्रीय विशेषज्ञों और जन भागीदारी शामिल रही।
- यह पाँच प्रमुख स्तंभों पर आधारित है: वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता, आर्थिक विकास हेतु खेल, सामाजिक विकास हेतु खेल, जन आंदोलन के रूप में खेल, और शिक्षा (NEP 2020) के साथ एकीकरण।

महत्व

- राष्ट्रीय खेल नीति 2025 भारत को एक अग्रणी वैश्विक खेल राष्ट्र के रूप में बदलने के पथ पर अग्रसर करती है, और स्वस्थ, संलग्न और सशक्त नागरिकों का निर्माण करती है।
- यह भारत के खेल परिदृश्य को रूपांतरित करने और नागरिकों को खेलों के माध्यम से सशक्त बनाने की एक प्रमुख पहल है।

चुनौतियाँ

- भारत की खेल प्रणाली को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा — सीमित बजट आवंटन, खराब शासन, वैज्ञानिक प्रशिक्षण की कमी, और जमीनी स्तर पर सहभागिता का अभाव।

- खेल एक राज्य विषय होने के कारण प्रयासों में विखंडन और कार्यान्वयन में असंगति देखने को मिली।

सुझाव और आगे की राह

- भारत का खेल भविष्य आशाजनक है, लेकिन इसके लिए निरंतर कार्रवाई, एकीकृत प्रयासों और एक सांस्कृतिक बदलाव की आवश्यकता है, जो खेल को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि एक गंभीर राष्ट्रीय प्रयास के रूप में माने।
- स्थायी प्रगति के लिए वैज्ञानिक कोचिंग, शारीरिक साक्षरता, शिक्षा के साथ एकीकरण और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी ताकि वास्तव में एक खेल राष्ट्र का निर्माण हो सके।

Source :TH

वस्तु एवं सेवा कर (GST) के 8 वर्ष

संदर्भ

- भारत ने 1 जुलाई 2017 को वस्तु एवं सेवा कर (GST) के क्रियान्वयन के आठ वर्ष पूर्ण कर लिए हैं — यह एक महत्वपूर्ण सुधार था जिसका उद्देश्य “एक राष्ट्र, एक कर” व्यवस्था बनाना था।

GST के प्रमुख पहलू

- गंतव्य-आधारित अप्रत्यक्ष कर: GST एक गंतव्य-आधारित कर है, जिसका अर्थ है कि कर राजस्व उस राज्य को प्राप्त होता है जहाँ वस्तु या सेवा की खपत होती है, न कि जहाँ वह उत्पन्न हुई थी। यह पूर्ववर्ती उत्पत्ति-आधारित कर व्यवस्था से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है।
- द्वैध GST मॉडल: भारत ने द्वैध GST मॉडल अपनाया है, जिसके अंतर्गत केंद्र और राज्य/केंद्रशासित प्रदेश दोनों वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाते हैं:
 - केंद्रीय GST (CGST):** केंद्र सरकार द्वारा एकत्र
 - राज्य GST (SGST)/केंद्रशासित GST (UTGST):** राज्यों/UTs द्वारा एकत्र
 - एकीकृत GST (IGST):** अंतर्राज्यीय लेनदेन और आयात पर केंद्र द्वारा लगाया जाता है, जिसे बाद में केंद्र और उपभोग राज्य के बीच विभाजित

किया जाता है।

- इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC):** GST आपूर्ति श्रृंखला में इनपुट टैक्स क्रेडिट का सहज प्रवाह सक्षम बनाता है।
 - व्यवसाय वे करों का क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं जो उन्होंने उन इनपुट्स पर चुकाए हैं, जो वे वस्तुएं/सेवाएं प्रदान करने में प्रयोग करते हैं — इससे करों की दोहराव से बचाव होता है।
- शून्य-रेटेड निर्यात:** GST के अंतर्गत निर्यात को शून्य-रेटेड आपूर्ति माना जाता है। निर्यातक इनपुट करों की वापसी का दावा कर सकते हैं, जिससे भारतीय वस्तुओं और सेवाओं की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है।
- वर्तमान GST संरचना में चार मुख्य दर श्रेणियाँ हैं:** 5%, 12%, 18% और 28%। तीन विशेष दरें भी हैं:
 - 3% सोना, चाँदी, हीरे और आभूषणों पर
 - 1.5% कटे और पालिश किए गए हीरों पर
 - 0.25% कच्चे हीरों पर GST क्षतिपूर्ति उपकर कुछ चयनित वस्तुओं पर लगाया जाता है जैसे कि तंबाकू उत्पाद, वातित पेय और मोटर वाहन। यह राज्यों को GST संक्रमण के कारण हुए राजस्व हानि की भरपाई हेतु उपयोग होता है।



8 वर्षों में GST की उपलब्धियाँ

- एकीकृत कर संरचना: GST ने 17 केंद्रीय और राज्य करों एवं 23 उपकरों को समाहित किया, जिससे विखंडन घटा और कर प्रणाली सरलीकृत हुई।
- राजस्व में वृद्धि: 2024-25 में, GST का अब तक का सर्वाधिक सकल संग्रह ₹22.08 लाख करोड़ रहा, जो 9.4% वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। औसत मासिक संग्रह ₹1.84 लाख करोड़ रहा।
- सक्रिय करदाताओं की संख्या में वृद्धि: 30 अप्रैल 2025 तक सक्रिय GST पंजीकरण की संख्या 1.51 करोड़ से अधिक हो गई।

GST की कमियाँ

- प्रमुख क्षेत्रों का बहिष्करण: पेट्रोलियम उत्पाद (कच्चा तेल, डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ATF) और मानव उपभोग हेतु शाराब GST से बाहर हैं — इससे एकीकृत कर प्रणाली का लक्ष्य अधूरा रहता है।
- जटिल दर संरचना: 0%, 5%, 12%, 18%, 28% के साथ-साथ 0.25%, 1%, 3% की विशेष दरें और क्षतिपूर्ति उपकरणों का होना — वर्गीकरण विवाद और मुकदमों को बढ़ाता है।
- नियमों और अनुपालन में बार-बार परिवर्तन: MSMEs सहित व्यवसायों को बार-बार रिटर्न फॉर्मेट बदलने, विलंब शुल्क और नियमों की व्याख्या की जटिलताओं का सामना करना पड़ता है।
- उलटा शुल्क ढांचा: वस्त्र और जूते-चप्पल जैसे क्षेत्रों में इनपुट पर कर दर आउटपुट से अधिक है, जिससे पूँजी प्रवाह में बाधा आती है।
- इनपुट टैक्स क्रेडिट पर प्रतिबंध: प्रक्रियात्मक त्रुटियों या आपूर्तिकर्ता की अनुपालन विफलता के कारण ITC अक्सर अस्वीकार कर दिया जाता है, जिससे प्राप्तकर्ता पर अनुचित भार पड़ता है।
- विवाद समाधान में देरी: GST अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) वर्षों तक चालू नहीं रहा, जिससे हजारों अपील लंबित रहीं और उच्च न्यायालयों पर भार बढ़ा।

GST में आवश्यक सुधार (GST 2.0)

- पेट्रोलियम उत्पादों और बिजली का समावेश: वर्तमान बहिष्करण से कर दोहराव होता है और इनपुट क्रेडिट की उपलब्धता घटती है।
 - समावेश से कर आधार विस्तृत होगा, मूल्य निर्धारण पारदर्शी बनेगा और क्षेत्रों में विकृति कम होगी।
- MSMEs हेतु अनुपालन को सरल बनाना: छोटे करदाताओं के लिए त्रैमासिक रिटर्न और सरलीकृत फॉर्मेट लागू करें।
 - ITC मिलान उपकरण प्रदान करें ताकि विसंगतियाँ रोकी जा सकें।
- कर आधार का विस्तार: छूटों की समीक्षा एवं युक्तिकरण करें, विशेष रूप से वे जो सीमित लाभ देती हैं या विकृति उत्पन्न करती हैं।
 - गिग अर्थव्यवस्था और डिजिटल सेवाओं को व्यापक रूप से शामिल करें।
- ITC तंत्र में सुधार: प्रक्रियात्मक चूक (जैसे आपूर्तिकर्ता ने चालान अपलोड नहीं किया) के कारण ITC अस्वीकृति अनुचित है।
 - प्रोविजनल क्रेडिट की अनुमति दें और आपूर्तिकर्ता-क्रेता मिलान उपकरण बेहतर बनाएं।
- GST दरों का युक्तिकरण: दरों की अधिकता को घटाएं जिससे अनुपालन सरल हो और विवाद घटें।
- GST परिषद के कामकाज में सुधार: पारदर्शिता, हितधारक परामर्श, और समयबद्ध निर्णय को बढ़ावा दें।
 - गतिरोध की स्थिति में भारित मतदान पर विचार करें, ताकि सहकारी संघवाद बना रहे।

वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद

- GST परिषद एक संवैधानिक निकाय है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A के अंतर्गत 101वें संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा स्थापित की गई थी। केंद्रीय वित्त मंत्री इस परिषद के अध्यक्ष होते हैं।
- GST परिषद केंद्र और राज्यों को GST से संबंधित प्रमुख विषयों पर सिफारिशें देती है, जैसे:

- ▲ GST में समाहित किए जाने वाले कर, उपकर और अधिभार
- ▲ कौन-कौन सी वस्तुएँ और सेवाएँ GST के अंतर्गत आएँगी या छूट पाएँगी
- ▲ मॉडल GST कानून, शुल्क की सिद्धांत और IGST के आवंटन
- ▲ कर दरें, सीमाएँ, विशेष प्रावधान और GST से जुड़े अन्य विषय
- **विवाद समाधान:** यह परिषद केंद्र और राज्यों या राज्यों के बीच GST से जुड़े विवादों के समाधान का मंच भी है।
- केंद्र के पास कुल मतदान शक्ति का एक-तिहाई हिस्सा है, जबकि राज्यों के पास दो-तिहाई है।

निष्कर्ष

- GST लागू होने के आठ वर्षों में भारत की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, लेकिन यह अब भी सुधार की प्रक्रिया में है।
- जैसे-जैसे भारत \$5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, GST 2.0 सुधार केवल वांछनीय नहीं — बल्कि आवश्यक हैं ताकि विकास स्थायी रहे, राजस्व स्थिरता बनी रहे और सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिले।

Source: TH

विकासशील देशों में संप्रभु क्रण में वृद्धि

संदर्भ

- विकास के लिए वित्तपोषण पर चौथा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (FfD4) स्पेन में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विकासशील देशों पर अत्यंत क्रण भार पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- सार्वजनिक क्रण या सॉवरेन क्रण वह धन है जिसे किसी राष्ट्रीय सरकार ने घेरेलू या अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से उधार लिया है, सामान्यतः सरकारी बांड या क्रण के माध्यम से।

विकासशील देशों पर सॉवरेन क्रण

- 2010 से, विकासशील देशों में सॉवरेन क्रण विकसित


- अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में दो गुना तेजी से बढ़ा है — इसका वैश्विक कुल क्रण में भाग 2010 में 16% से बढ़कर 2023 में 30% हो गया है।
- विश्व बैंक की 2024 रिपोर्ट के अनुसार, विकासशील देशों ने 2023 में विदेशी क्रण की सेवा के लिए रिकॉर्ड \$1.4 ट्रिलियन व्यय किए, क्योंकि ब्याज दरें 20 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गईं।
- ▲ वर्तमान में, आधे से अधिक विकासशील देश अपने सरकारी राजस्व का कम से कम 8% केवल ब्याज भुगतान में व्यय कर रहे हैं — यह आंकड़ा विगत एक दशक में दोगुना हो चुका है।
- ▲ ब्याज भुगतान का बढ़ता दबाव विशेष रूप से अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्रों में अत्यधिक गंभीर है।

PUBLIC EXTERNAL DEBT SURGE

In LMICs, external debt held by private entities rose by 39% over the past decade, while government debt surged by 88%

Composition of long-term external debt stock for LMICs

■ Private ■ Public (in \$ billion)



क्रण भार के कारण और योगदान देने वाले कारक

- **तेल मूल्य आयात (1970 का दशक):** 1970 के दशक में, 1973 के अरब तेल प्रतिबंध जैसी भू-राजनीतिक घटनाओं के कारण तेल की कीमतों में तीव्र वृद्धि हुई।
 - ▲ तेल आयातक विकासशील देशों को बढ़ते आयात बिलों के कारण वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा।
- **पेट्रोडॉलर पुनर्चक्रण:** तेल निर्यातक अरब देशों ने अपने अधिशेष “पेट्रोडॉलर” को पश्चिमी बैंकों में जमा किया।

- ये धन विकासशील देशों को उधार दिए गए ताकि वे महंगे तेल खरीद सकें और पश्चिमी वस्तुओं का आयात जारी रख सकें।
- इस प्रणाली ने पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं को मंदी से बचाने में सहायता की।
- **निजी क्रण में वृद्धि:** निजी पश्चिमी बैंकों ने आधिकारिक स्रोतों (जैसे सरकारों या IMF) की तुलना में अधिक क्रण देना शुरू किया।
 - 1982 तक, बैंक प्रति वर्ष \$63 बिलियन का क्रण दे रहे थे — जो आधिकारिक क्रण की लगभग दो गुना राशि थी।
 - 1970 के दशक में कई विकासशील देशों में तीव्र आर्थिक वृद्धि देखी गई।
- **क्रण संकट (1980 का दशक):** 1980 के दशक में वैश्विक मंदी और उच्च ब्याज दरों का प्रभाव पड़ा।
 - विकासशील देश क्रण चुकाने में असमर्थ हो गए और केवल ब्याज भुगतान के लिए और अधिक क्रण लेना पड़ा — यह एक पारंपरिक ‘क्रण जाल’ की स्थिति थी।
 - **ब्राज़ील का मामला:** 1972–1988 के दौरान, ब्राज़ील ने \$124 बिलियन के क्रण पर \$176 बिलियन ब्याज के रूप में चुकाए।
- **उच्च ब्याज दरें:** UNCTAD रिपोर्ट में बताया गया कि विकासशील क्षेत्र अमेरिका की तुलना में 2–4 गुना और जर्मनी की तुलना में 6–12 गुना अधिक ब्याज दरों पर उधारी करते हैं।
 - इसका मुख्य कारण यह है कि इन्हें ‘उच्च जोखिम वाला वातावरण’ माना जाता है जिससे उधारी लागत बढ़ जाती है।
- **पूर्वाग्रही सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग:** ये रेटिंग किसी देश की क्रण चुकाने की क्षमता का स्वतंत्र आकलन होनी चाहिए।
 - लेकिन वैश्विक दक्षिण (Global South) के देशों के लिए यह प्रणाली नकारात्मक रूप से पक्षपाती है, जिससे उनके लिए वैश्विक वित्तीय बाज़ार में क्रण महंगा पड़ता है।

चिंताएं

- **ब्याज भार में वृद्धि:** 2023 में रिकॉर्ड 54 विकासशील देशों (कुल का 38%) ने अपने सरकारी राजस्व का 10% या उससे अधिक केवल ब्याज भुगतान में व्यय किया।
 - इनमें से लगभग आधे देश अफ्रीका में थे।
- **लोक व्यय को पछाड़ते ब्याज भुगतान:** ब्याज भुगतान स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे आवश्यक क्षेत्रों के सार्वजनिक व्यय से तेज़ी से बढ़ रहे हैं।
 - विज्ञान और पर्यावरण केंद्र (CSE) के अनुसार, कई निम्न और मध्यम आय वाले देश (LMICs) अब जलवायु लक्ष्यों की तुलना में क्रण भुगतान पर अधिक व्यय कर रहे हैं।
- **क्रण सेवा बोझ में वृद्धि:** LMIC सरकारों का विदेशी क्रण भुगतान 2013 के \$182 बिलियन से बढ़कर 2023 में \$368 बिलियन हो गया।
 - एक डॉलर राष्ट्रीय आय (GNI) कमाने पर, औसत विकासशील अर्थव्यवस्था ने 2013 में 1.6 सेंट और 2023 में 2.5 सेंट क्रण सेवा पर व्यय किए।
 - LMICs के लिए यह आंकड़ा 2013 में 1.8 सेंट से बढ़कर 2023 में 2.8 सेंट हो गया।
- **मुद्रा और वित्तीय अस्थिरता:** विदेशी मुद्रा में भारी क्रण लेने से विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का जोखिम बढ़ जाता है।
- **संप्रभुता और नीति स्वायत्तता की हानि:** IMF और द्विपक्षीय उधारदाताओं पर निर्भरता अक्सर घेरू नीतियों पर प्रभाव डालने वाली शर्तों के साथ आती है।
- **जलवायु और SDG प्रतिबद्धताओं पर संकट:** बढ़ता क्रण संसाधनों को जलवायु वित्त, सतत बुनियादी ढांचे और UN SDG लक्ष्यों से हटा रहा है।

क्रण प्रबंधन के लिए सिफारिशें

- **क्रण पुनर्गठन:** सरकारों को अपनी क्रण सततता और कमी की क्षमता का आकलन करना चाहिए।

- ▲ अत्यधिक अस्थिर स्तर तक पहुंचने से पहले ही क्रणदाताओं के साथ पुनर्गठन करना समझदारी होगी।
- अधिक आर्थिक वृद्धि: विकासशील देशों को व्यवसाय करने में आसानी लानी होगी, लालफीताशाही कम करनी होगी और विदेशी निवेश आकर्षित करने हेतु अनुकूल वातावरण बनाना होगा।
 - ▲ कर प्रशासन में सुधार करें, कर आधार बढ़ाएं (जैसे: डिजिटल अनुपालन, छूट में कटौती।)
 - ▲ वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दें ताकि बचत और निवेश औपचारिक अर्थव्यवस्था में आए।
- क्रण प्रबंधन क्षमता को मज़बूत बनाना: क्रण विश्लेषण, पूर्वानुमान और जोखिम प्रबंधन के लिए संस्थागत क्षमता विकसित की जाए।
 - ▲ मध्यम-अवधि क्रण प्रबंधन रणनीतियाँ (MTDS) जैसे टूल्स का उपयोग करें और घेरलू क्रण बाज़ार विकसित करें।
- अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और नीति स्थान को प्रोत्साहित करना: IMF, विश्व बैंक और क्षेत्रीय विकास बैंकों से रियायती वित्तपोषण और नीति सलाह के ज़रिए सहायता प्राप्त करें।

Source: DTE


डिजिटल इंडिया यात्रा के 10 वर्ष

संदर्भ

- डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को सरकार द्वारा 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत को एक ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था और डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलना है।


डिजिटल अर्थव्यवस्था

- डिजिटल अर्थव्यवस्था में तीव्रता से वृद्धि हो रही है — 2022–23 में राष्ट्रीय आय में इसका योगदान 11.74% था, जो 2024–25 तक 13.42% तक पहुंचने की संभावना है।
- ICRIER द्वारा जारी “स्टेट ऑफ इंडिया” ज डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2024 के अनुसार, भारत अब डिजिटल अर्थव्यवस्था के मामले में विश्व में तीसरे स्थान पर है।
- 2030 तक भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के समग्र अर्थव्यवस्था में लगभग पांचवां हिस्सा बनने की संभावना है, जो पारंपरिक क्षेत्रों की वृद्धि को पीछे छोड़ देगी।



डिजिटल इंडिया के अंतर्गत प्रमुख फोकस क्षेत्र और सेवाएं

- कनेक्टिविटी और अवसंरचना:** वर्षों में डिजिटल इंडिया ने देशभर में सुदृढ़ डिजिटल ढांचा स्थापित किया है। मोबाइल कनेक्टिविटी लगभग प्रत्येक गाँव तक पहुँच चुकी है।
- टेलीकॉम और इंटरनेट पहुँच:** भारत में टेलीफोन कनेक्शन 2014 के 93.3 करोड़ से बढ़कर 2025 में 120 करोड़ से अधिक हो गए हैं, और टेली-डेंसिटी 2024 तक 75.23% से बढ़कर 84.49% हो गई है।



- UPI:** ACI वर्ल्डवाइड रिपोर्ट 2024 के अनुसार, भारत ने 2023 में विश्व के 49% रीयल-टाइम लेनदेन को संभाला।
 - UPI अब सात से अधिक देशों में उपस्थित है, जिससे वैश्विक डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला है।
- आधार:** आधार-आधारित ई-केवाईसी प्रणाली ने बैंकिंग और सार्वजनिक सेवाओं दोनों में प्रक्रियाओं को सरल बनाया है।
 - इससे सत्यापन तेज हुआ, कागजी कार्यवाही घटी और विभिन्न क्षेत्रों में पारदर्शिता बढ़ी।
- डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT):** DBT आधार के ज़रिए कल्याणकारी भुगतान सीधे लाभार्थियों तक पहुँचाता है और फर्जी लाभार्थियों को हटाता है।
- ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC):** 2022 में लॉन्च किया गया, ONDC छोटे व्यवसायों को डिजिटल बाज़ार में प्रवेश करने में सहायता करता है।

- 2025 तक यह 616+ शहरों में फैल चुका है और 7.64 लाख से अधिक विक्रेताओं एवं सेवा प्रदाताओं को पंजीकृत कर चुका है।
- इंडिया AI मिशन:** इसका फोकस कंप्यूटिंग तक पहुंच बढ़ाने, नवाचार को समर्थन देने, डेटा सेट सुधारने, स्टार्टअप को फंड देने और नैतिक AI उपयोग सुनिश्चित करने पर है।
 - मई 2025 तक भारत की राष्ट्रीय कंप्यूटिंग क्षमता 34,000 GPU से पार हो गई — जो AI अवसंरचना के विकास में एक बड़ा माइलस्टोन है।
- इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन:** ₹76,000 करोड़ के बजट के साथ यह मिशन देश में चिप और डिस्प्ले निर्माण को समर्थन देता है।
 - यह फेब्स के लिए 50% तक समर्थन और चिप डिज़ाइन व निर्माण के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है।
- ई-गवर्नेंस:** भारत में ई-गवर्नेंस ने नागरिकों और सरकार के बीच संवाद की दिशा बदल दी है — सेवाओं को अधिक सुलभ, पारदर्शी एवं कुशल बनाया गया है।
 - इसमें मिशन कर्मयोगी, डिजीलॉकर और उमंग ऐप जैसी पहलें शामिल हैं।

Source: TH

कैबिनेट ने अनुसंधान विकास और नवाचार (RDI) योजना को मंजूरी दी

संदर्भ

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹1 लाख करोड़ की राशि के साथ अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) योजना को मंजूरी दी है।

अनुसंधान, विकास और नवाचार (RDI) योजना मुख्य उद्देश्य:

- आर्थिक सुरक्षा और रणनीतिक महत्व वाले क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना।
- उच्च तकनीकी तत्परता स्तर (Technology Readiness Levels - TRLs) वाले परिवर्तनकारी परियोजनाओं को समर्थन देना।

- उन तकनीकों के अधिग्रहण को समर्थन देना जो अत्यंत महत्वपूर्ण या रणनीतिक दृष्टि से आवश्यक हैं।
- डीप-टेक नवाचारों और स्टार्टअप्स को समर्थन देने हेतु एक डीप-टेक फंड ऑफ फंड्स (FoF) की स्थापना को सुविधाजनक बनाना।

संस्थागत ढांचा:

- गवर्निंग बोर्ड (अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन - ANRF):** प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, समग्र रणनीतिक दिशा प्रदान करता है।
- कार्यकारी परिषद (ANRF):** योजना के दिशा-निर्देशों को मंजूरी देती है, परियोजनाओं और फंड प्रबंधकों की पहचान करती है।
- सशक्त सचिवों का समूह (EGoS):** कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में, कार्यान्वयन की निगरानी करता है, प्रदर्शन की समीक्षा करता है और आवश्यक परिवर्तन स्वीकृत करता है।
- नोडल विभाग:** विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST)।

योजना के तहत दो-स्तरीय वित्तपोषण तंत्र:

- सरकार ₹1 लाख करोड़ की राशि को ANRF को 50 वर्षों के लिए बिना ब्याज क्रण के रूप में प्रदान करेगी।
- विशेष प्रयोजन निधि (SPF):** ANRF के अंतर्गत बनाई गई, यह निधियों की संरक्षक के रूप में कार्य करेगी। SPF से विभिन्न द्वितीय स्तर के फंड प्रबंधकों को धन आवंटित किया जाएगा।
- द्वितीय स्तर के फंड प्रबंधक:** SPF से रियायती दीर्घकालिक क्रण या इक्विटी प्राप्त करेंगे ताकि वे अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को वित्तपोषित कर सकें।
 - ये प्रबंधक परियोजनाओं का मूल्यांकन करेंगे और क्रण या इक्विटी के माध्यम से उन्हें वित्तपोषित करेंगे।
- वित्तपोषण के रूप:**
 - दीर्घकालिक रियायती क्रण (प्राथमिक माध्यम)।

- इक्विटी वित्तपोषण (विशेष रूप से स्टार्टअप्स के लिए)।
- डीप-टेक फंड ऑफ फंड्स में योगदान।

योजना की आवश्यकता

- 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण में उल्लेख किया गया कि भारत ने अनुसंधान एवं विकास (GERD) पर सकल व्यय को 2011 में ₹60,196 करोड़ से बढ़ाकर 2021 में ₹1,27,381 करोड़ कर दिया है, फिर भी यह **GDP का केवल 0.64%** है।
- सर्वेक्षण में कहा गया कि “यह अपर्याप्त है और उन देशों की तुलना में कम है जिन्होंने अनुसंधान एवं विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है।”

महत्व:

- भारत में निजी अनुसंधान एवं विकास की वित्तीय बाधाओं को दूर करता है।
- उदायमान क्षेत्रों (जैसे AI, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा) में नवाचार को बढ़ावा देता है।
- विकसित भारत@2047** की दृष्टि के अनुरूप, एक मजबूत नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करता है।

Source: PIB

वन्य जीव-जंतुओं और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेशन के 50 वर्ष (CITES)

समाचार में

- वन्य जीव और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन (CITES) के लागू होने के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं।

परिचय

- उद्घव:** CITES (वन्य जीव और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन) एक अग्रणी वैश्विक समझौता है, जिसकी परिकल्पना 1963 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) की एक बैठक में की गई थी।

- उद्देश्य और दायरा:** CITES सरकारों के बीच एक स्वैच्छिक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य जीवों और पौधों की प्रजातियों का अंतरराष्ट्रीय व्यापार उनकी प्रजातियों के अस्तित्व के लिए खतरा न बने।
 - यह एक लाइसेंसिंग प्रणाली के माध्यम से कार्य करता है, जो सूचीबद्ध प्रजातियों और उनके अंगों या उत्पादों के सभी आयात, निर्यात और पुनः-निर्यात को नियंत्रित करता है।
- प्रशासन और संरचना:** CITES सचिवालय का प्रशासन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में किया जाता है।
 - 2024 तक, CITES के 185 पक्षकार (देश या क्षेत्रीय संगठन) हैं; भारत ने 1976 में इस सम्मेलन की पुष्टि की थी।
 - हालाँकि CITES अपने पक्षकारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है, यह राष्ट्रीय कानूनों का स्थान नहीं लेता। इसके बजाय, प्रत्येक पक्ष को अपने घेरेलू कानूनों के माध्यम से CITES को लागू करना होता है।

महत्व

- CITES पहला वैश्विक समझौता था जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीव व्यापार को संबोधित किया, और व्यापार के कारण अत्यधिक दोहन और विलुप्ति को रोकने के लिए सहयोग का ढांचा प्रदान किया।
- यह जैव विविधता की रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों की आधारशिला बना हुआ है, और इसकी प्रभावशीलता इसके सदस्य देशों की प्रतिबद्धता और प्रवर्तन पर निर्भर करती है।

प्रमुख पहले

- हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी (MIKE) कार्यक्रम:** 1997 में हरारे में आयोजित 10वें CoP में अपनाया गया, यह स्थल-आधारित प्रणाली अफ्रीका और एशिया में हाथियों की अवैध हत्या की प्रवृत्तियों की निगरानी करती है।

- वन्य जीव अपराध से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ (ICCWC):** 2010 में शुरू किया गया, यह CITES और अन्य संगठनों के बीच एक साझेदारी है, जो राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को वन्य जीव और वन अपराध से निपटने में सहायता प्रदान करती है।
- रणनीतिक दृष्टिकोण 2021–2030:** यह रूपरेखा CITES के प्रयासों को मार्गदर्शन देती है ताकि वन्य जीव व्यापार वैश्विक जैव विविधता लक्ष्यों, सतत विकास और कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे का समर्थन कर सके।
- CITES वृक्ष प्रजाति कार्यक्रम:** 2024 में शुरू किया गया, यह CITES के अंतर्गत सूचीबद्ध वृक्ष प्रजातियों के प्रबंधन और सतत उपयोग में सुधार पर केंद्रित है।

Source: UN

कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए नियामक ढांचा

समाचार में

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 'कृषि भूमि में वृक्षों की कटाई के लिए मॉडल नियम' जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नियामक ढांचे को सरल बनाने और एग्रोफॉरेस्ट्री को बढ़ावा देने में सहायता करना है।

एग्रोफॉरेस्ट्री क्या है?

- एग्रोफॉरेस्ट्री कृषि और वानिकी को एक ही भूमि इकाई पर एक साथ करने की प्रणाली है।
- भारत में एग्रोफॉरेस्ट्री के अंतर्गत आने वाले वृक्ष वे हैं जो कृषि उपयोग के लिए जंगलों की सफाई के बाद बचे रह गए हैं; ये छाया, मृदा की उर्वरता और अन्य लाभ प्रदान करते हैं।

एग्रोफॉरेस्ट्री के लाभ

- एग्रोफॉरेस्ट्री प्रणालियाँ कार्बन सिंक के रूप में कार्य करती हैं, जिससे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी आती है।

- वृक्ष फसलों को अत्यधिक मौसमीय तनाव से बचाने के लिए छाया, पवन अवरोध और सूक्ष्म जलवायु नियंत्रण प्रदान करते हैं।
- भारी वर्षा के दौरान वृक्षों की जड़ें अतिरिक्त जल को अवशोषित करती हैं, जिससे बाढ़ की संभावना घटती है और भूजल पुनर्भरण में सुधार होता है।
- यह फल, मेवे और औषधीय पौधों जैसे गैर-काष वन उत्पाद प्रदान करता है, जो खाद्य सुरक्षा और आय सूजन में सहायक होते हैं।

भारत में एग्रोफॉरेस्ट्री

- भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 8.65% भाग एग्रोफॉरेस्ट्री के अंतर्गत आता है।
- भारत का लगभग 56% क्षेत्र कृषि भूमि और 20% वन क्षेत्र से आच्छादित है।
- एग्रोफॉरेस्ट्री का सर्वाधिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश (1.86 मिलियन हेक्टेयर) में है, इसके बाद महाराष्ट्र (1.61 मिलियन हेक्टेयर), राजस्थान (1.55 मिलियन हेक्टेयर) और आंध्र प्रदेश (1.17 मिलियन हेक्टेयर) हैं।

कृषि भूमि में वृक्षों की कटाई के लिए मॉडल नियम

- ये नियम परामर्शात्मक प्रकृति के हैं और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को अपने स्वयं के विनियमन तैयार करने के लिए मार्गदर्शन देने हेतु जारी किए गए हैं।
- एक राज्य स्तरीय समिति, जिसे बुड़-बेस्ड इंडस्ट्रीज (स्थापना और विनियमन) दिशा-निर्देश, 2016 के तहत गठित किया गया है, को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं:
 - एग्रोफॉरेस्ट्री संचालन की निगरानी, जिसमें वृक्षारोपण पंजीकरण और वृक्ष कटाई प्रक्रियाएं शामिल हैं।
 - सत्यापन एजेंसियों का पैनल बनाना और उनका विनियमन करना, जो वृक्षारोपण डेटा का निरीक्षण और सत्यापन करेंगी।
 - कृषि भूमि से लकड़ी उत्पादन को बढ़ावा देना और बाज़ार से जोड़ने की व्यवस्था करना।
- आवेदकों को अपने वृक्षारोपण को नेशनल टिबर

मैनेजमेंट सिस्टम (NTMS) पोर्टल पर पंजीकृत करना अनिवार्य है।

वृक्षों की कटाई के लिए सरल प्रक्रिया:

- 10 से कम वृक्षों के लिए:** आवेदक को प्रत्येक वृक्ष की स्पष्ट तस्वीरें NTMS पोर्टल पर अपलोड करनी होंगी। इनपुट के आधार पर पोर्टल के माध्यम से स्वतः अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) जारी किया जाएगा।
- 10 से अधिक वृक्षों के लिए:** आवेदक को NTMS पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
 - राज्य समिति द्वारा पैनल में शामिल सत्यापन एजेंसी स्थल निरीक्षण करेगी।
 - सत्यापन के बाद, निर्धारित प्रारूप में कटाई की अनुमति NTMS पर उत्पन्न की जाएगी।

एग्रोफॉरेस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहलें

- राष्ट्रीय एग्रोफॉरेस्ट्री नीति (NAP):** सरकार ने 2014 में एग्रोफॉरेस्ट्री को एक सतत भूमि उपयोग प्रणाली के रूप में बढ़ावा देने के लिए यह नीति बनाई।
 - इसका उद्देश्य एग्रोफॉरेस्ट्री क्षेत्र को बढ़ाना, उत्पादकता बढ़ाना और किसानों की आजीविका में सुधार करना है।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY):** 2015 में शुरू की गई यह योजना कृषि में जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है।
 - यह एकीकृत कृषि प्रणाली और वाटरशेड प्रबंधन जैसी एग्रोफॉरेस्ट्री प्रथाओं को बढ़ावा देती है।
- राष्ट्रीय बांस मिशन (NBM):** बांस एग्रोफॉरेस्ट्री प्रणालियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2018 में शुरू किया गया यह मिशन बांस की खेती को बढ़ावा देने और बांस-निर्भर समुदायों की आजीविका को सशक्त बनाने का कार्य करता है।
- एग्रोफॉरेस्ट्री पर उप-मिशन (SMAF):** राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA) के अंतर्गत शुरू किया गया, यह किसानों को एग्रोफॉरेस्ट्री मॉडल स्थापित करने और प्रबंधन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

- एकीकृत कृषि प्रणाली (IFS): यह अवधारणा फसल, पशुपालन, मत्स्य पालन और एग्रोफॉरेस्ट्री जैसे विभिन्न कृषि घटकों को एकीकृत करती है ताकि संसाधनों का इष्टतम उपयोग, उत्पादकता में वृद्धि और कृषि की लचीलापन सुनिश्चित हो सके।

आगे की राह

- किसानों को प्रोत्साहन: सरकार को वित्तीय प्रोत्साहन, बीमा कवरेज और सुनिश्चित खरीद तंत्र प्रदान करना चाहिए ताकि किसान एग्रोफॉरेस्ट्री को अपनाने के लिए प्रेरित हों।
- निगरानी और पारदर्शिता: दुरुपयोग को रोकने और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर ऑडिट और रीयल-टाइम निगरानी लागू की जानी चाहिए।
- पर्यावरणीय एकीकरण: एग्रोफॉरेस्ट्री को जलवायु कार्य योजनाओं और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए ताकि व्यापक पारिस्थितिक और आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

Source: PIB

- अपने मनमोहक दृश्यों के लिए प्रसिद्ध, मुन्नार में लहराते हुए पहाड़, धुंध से ढकी घाटियाँ, हरे-भरे चाय बागान और झरने देखने को मिलते हैं।
- यह क्षेत्र मूल रूप से मुथुवन जनजातीय समुदाय का निवास स्थान था और 19वीं सदी के उत्तरार्ध में यूरोपीय बागान मालिक ए.एच. शार्प द्वारा प्रथम चाय बागान स्थापित किए जाने के बाद यह एक चाय केंद्र के रूप में विकसित हुआ।
- मुन्नार नीलकुरिंजी फूल के लिए भी प्रसिद्ध है, जो प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार खिलता है, और एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान के लिए, जो संकटग्रस्त नीलगिरी तहर और दक्षिण भारत की सबसे ऊँची चोटी अनामुड़ी पर पाया जाता है।

Source: TH

महाबोधि मंदिर

संदर्भ

- सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में बौद्ध समुदाय को बिहार के बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर का विशेष नियंत्रण सौंपने की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय का रुख करने की सलाह दी।

महाबोधि मंदिर के बारे में

- महाबोधि मंदिर एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और बुद्ध के जीवन से जुड़े चार पवित्र स्थलों में से एक है, विशेष रूप से वह स्थान जहाँ उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था।
- महाबोधि मंदिर परिसर सम्प्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने के बाद तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित प्रथम मंदिर था, और वर्तमान मंदिर पाँचवीं-छठी शताब्दी का है।
- यह पूरी तरह से ईंटों से निर्मित प्रारंभिक बौद्ध मंदिरों में से एक है और ईंट वास्तुकला के विकास में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन माना जाता है।
- इस मंदिर का ऐतिहासिक रूप से प्रबंधन बौद्धों द्वारा किया जाता था, जब तक कि 13वीं शताब्दी में बछित्यार

संक्षिप्त समाचार

मुन्नार एक 'जिम्मेदार पर्यटन स्थल'

समाचार में

- केरल सरकार मुन्नार को एक उत्तरदायी पर्यटन गंतव्य (Responsible Tourism Destination) में बदलने की दिशा में कार्य कर रही है, जिसका उद्देश्य इसे एक नेट-ज़ीरो पर्यटन केंद्र बनाना है जो इसके नाज़ुक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करता है।

मुन्नार

- यह केरल के इडुक्की ज़िले में स्थित एक शांत पहाड़ी स्थल है, जो समुद्र तल से 1,600 मीटर की ऊँचाई पर तीन नदियों—मुथिरापुङ्गा, नल्लथन्नी और कुंडला—के संगम पर स्थित है।
 - यह अनामलाई पहाड़ियों और इलायची पहाड़ियों से घिरा हुआ है।

खिलजी के आक्रमण के बाद यह व्यवस्था बाधित नहीं हुई।

- 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, हिंदू संत घमंडी गिरी ने इस स्थल पर बोधगया मठ की स्थापना की।
- स्वतंत्रता के पश्चात् (1949):** महाबोधि मंदिर का प्रशासन बोधगया मंदिर अधिनियम, 1949 के तहत किया जाता है, जिसके अंतर्गत बिहार सरकार की देखरेख में एक प्रबंधन समिति को नियंत्रण सौंपा गया है, जिसमें हिंदू और बौद्ध दोनों समुदायों का प्रतिनिधित्व होता है।

क्या आप जानते हैं?

- हालाँकि हिंदुओं की परिभाषा में बौद्धों को भी शामिल किया गया है, लेकिन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के अंतर्गत 1993 में बौद्ध समुदाय को एक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता दी गई थी।

Source: HT

ग्लूटेथिओन

संदर्भ

- अभिनेत्री शेफाली जरीवाला की मृत्यु ने ग्लूटाथियोन इंजेक्शन को सुर्खियों में ला दिया है। हालाँकि मृत्यु का सटीक कारण अभी जांच के अधीन है, रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने इसे एक एंटी-एजिंग उपचार के रूप में लिया था।

ग्लूटाथियोन क्या है?

- ग्लूटाथियोन एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो स्वाभाविक रूप से हमारे यकृत (लिवर) द्वारा उत्पन्न होता है। यह त्वचा की मरम्मत करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है, फ्री रेडिकल्स को निष्क्रिय करता है और यहां तक कि कैंसर कोशिकाओं से लड़ने में भी सहायता करता है।
- इसी कारण इसे प्रायः 'सभी एंटीऑक्सीडेंट्स की जननी' कहा जाता है।
- लेकिन जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर में ग्लूटाथियोन का उत्पादन कम हो जाता है — इसलिए कई लोग

इसके स्तर को बढ़ाने के लिए मौखिक सप्लीमेंट्स या अंतःशिरा (IV) इंजेक्शन का सहारा लेते हैं।

प्रभाव और नियमन

- उच्च मात्रा में, विशेष रूप से इंजेक्शन के माध्यम से लिया गया ग्लूटाथियोन गंभीर दुष्प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, जैसे एलर्जी प्रतिक्रियाएं, निम्न रक्तचाप, गुर्दे को हानि और शरीर की प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट संतुलन में बाधा।
- गौरतलब है कि भारत के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) — जो सौदर्य प्रसाधनों, दवाओं और चिकित्सा उपकरणों का राष्ट्रीय नियामक है — ने त्वचा को गोरा करने के लिए ग्लूटाथियोन के उपयोग को मंजूरी नहीं दी है, हालांकि इसका इस उद्देश्य के लिए व्यापक रूप से ऑफ-लेबल उपयोग किया जाता है।

Source: IE

रोजगार सृजन के लिए ईएलआई योजना समाचार में

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रोजगार-आधारित प्रोत्साहन (ELI) योजना को मंजूरी दे दी है।

ELI योजना

- यह योजना केंद्रीय बजट 2024–25 में प्रधानमंत्री के युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास हेतु घोषित पाँच योजनाओं के पैकेज का भाग है, जिसका कुल बजट ₹99,446 करोड़ है।
- इसका उद्देश्य 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच 3.5 करोड़ से अधिक रोजगारों का सृजन करना है, जिनमें 1.92 करोड़ प्रथम बार कार्यबल में प्रवेश करने वाले युवा शामिल हैं।

घटक

- इस योजना के दो प्रमुख घटक हैं:
 - प्रथम घटक:** प्रथम बार EPFO-पंजीकृत कर्मचारी, जिनकी मासिक आय ₹1 लाख तक है, उन्हें ₹15,000 तक की प्रत्यक्ष प्रोत्साहन राशि दो किश्तों में दी जाएगी।

- यह प्रोत्साहन निरंतर सेवा और वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण से जुड़ा होगा, जिसमें एक भाग बचत खाते में सुरक्षित रखा जाएगा।
- दूसरा घटक:** EPFO-पंजीकृत नियोक्ताओं को नए रोजगार सृजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रत्येक बनाए रखे गए कर्मचारी के लिए ₹1,000 से ₹3,000 प्रति माह का प्रोत्साहन दिया जाएगा, जो वेतन श्रेणियों पर आधारित होगा। उत्पादन क्षेत्र (मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर) के लिए यह लाभ अधिक अवधि तक लागू रहेगा।
- भुगतान प्रणाली कर्मचारियों को भुगतान आधार-लिंकड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से किया जाएगा, जबकि नियोक्ताओं को भुगतान PAN-लिंकड बैंक खातों में किया जाएगा।

Source :TH

रेलवन ऐप(RailOne App)

संदर्भ

- रेल मंत्री ने रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (CRIS) की 40वीं स्थापना दिवस पर RailOne ऐप लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य यात्री अनुभव को बेहतर बनाना और सेवाओं के एकीकरण को बढ़ावा देना है।

RailOne ऐप के बारे में

- RailOne** एक ऑल-इन-वन, उपयोगकर्ता-अनुकूल मोबाइल ऐप है जिसे भारतीय रेलवे के साथ यात्रियों के इंटरफेस को बेहतर बनाने के लिए विकसित किया गया है, जो कई सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करता है।
- RailOne में सिंगल साइन-ऑन की सुविधा है, जिसमें mPIN या बायोमेट्रिक के माध्यम से लॉगिन किया जा सकता है। यह वर्तमान RailConnect और UTS क्रेडेंशियल्स को भी सपोर्ट करता है। यह ऐप स्पेस-सेविंग है, क्योंकि यात्रियों को अलग-अलग ऐप्स इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती।

- यह ऐप निम्नलिखित यात्री सेवाओं को एकीकृत करता है:
 - R-Wallet के माध्यम से अनारक्षित UTS टिकट, जिस पर 3% की छूट मिलती है
 - लाइव ट्रैन ट्रैकिंग
 - शिकायत निवारण प्रणाली
 - ई-कैटरिंग, कुली बुकिंग और अंतिम-मील टैक्सी सेवा

Source: PIB

EPABX (इलेक्ट्रॉनिक निजी स्वचालित शाखा एक्सचेंज)

संदर्भ

- EPABX या इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट ऑटोमैटिक ब्रांच एक्सचेंज एक ऐसी तकनीक है जो मैनुअल कॉल हैंडलिंग से विकसित होकर उन्नत प्रणालियों तक पहुंची है, जिससे कार्यालय संचार तेज़, आसान और अधिक कुशल हो गया है।

EPABX क्या है?

- EPABX एक निजी टेलीफोन नेटवर्क है जिसका उपयोग व्यवसायों या कार्यालयों द्वारा किया जाता है। यह कर्मचारियों को एक्सटेंशन नंबरों के माध्यम से आपस में बात करने और बाहरी फोन लाइनों से जुड़ने की सुविधा देता है।
 - यह प्रणाली स्वचालित रूप से कार्य करती है और प्रत्येक कॉल के लिए ऑपरेटर की आवश्यकता नहीं होती।
- EPABX की स्विचिंग प्रणाली:** EPABX प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण घटक इसकी स्विचिंग प्रणाली है, जो कॉल को सही गंतव्य तक निर्देशित करती है।
 - पहले, इलेक्ट्रॉनिकल स्विच जैसे कि क्रॉसबार रिले का उपयोग स्विचिंग के लिए किया जाता था।
- डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग:** 1980 के दशक में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स ने इलेक्ट्रॉनिकल रिले की जगह ले ली।

- वॉयस सिग्नल को पल्स कोड मॉड्यूलेशन (PCM) के माध्यम से डिजिटाइज़ किया जाता है और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग (TDM) के ज़रिए ट्रांसमिट किया जाता है, जिसमें प्रत्येक कॉल को एक टाइम स्लॉट दिया जाता है, जिससे कई उपयोगकर्ता एक ही लाइन को एक साथ साझा कर सकते हैं।
- आधुनिक प्रणालियों में सामान्यतः VoIP (वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल) तकनीक का उपयोग किया जाता है।
- एकीकृत डिजिटल विशेषताएँ: आधुनिक EPABX प्रणालियाँ निम्नलिखित सुविधाओं का समर्थन करती हैं:
 - वॉइसमेल
 - कॉल रिकॉर्डिंग
 - इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पॉन्स (IVR)
 - मोबाइल और रिमोट एक्सेस
 - CRM और अन्य व्यावसायिक टूल्स के साथ एकीकरण

Source: TH

